

का.आ. सं./ 240 /2020  
सं. ED/MD/839/10/MACPS

मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय रतलाम  
दिनांक : 11.11.2020

## कार्यालय आदेश

**विषय :** आशोधित सुनिश्चित केरियर प्रोन्नयन योजना (MACPS) के अंतर्गत वित्तीय उन्नयन चिकित्सा विभाग रतलाम मंडल।

- संदर्भ :** 1. महाप्रबंधक स्था. चर्चगेट के पत्र सं. EP/839/0/भाग 5 E/PC/767/0 कू. सं. 99 दिनांक 18/29.06.09 (PS No.109/09)द्वारा परिपत्रित रेलवे बोर्ड के पत्र सं. PC - 6/2009/ACP/2 दिनांक 10.06.09(PC -06-110 एवं RBE No.101/09)
2. रेलवे बोर्ड के पत्र सं. PC -5/2009 ACP/2(PC -06-192)दिनांक 25.02.2010 (RBE No.36/2010) PS No.49/10 एवं RBE No.155/2016 दिनांक 19.12.2016
3. रेलवे बोर्ड के पत्र सं. PC -V/2016/MACPS/1 एवं RBE No.86/2019 दिनांक 28.05.2019
4. कर्मचारी का आवेदन एवं घोषणा पत्र दिनांक 21.10.2020

\*\*\*\*\*

रेलवे बोर्ड के उपरोक्त संदर्भित पत्रों में निहित शर्तों /निर्देशों के तहत MACPS योजना के अंतर्गत वित्तीय उन्नयन का लाभ प्रदान करने हेतु स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई। सेवा रिकार्ड एवं अन्तिम तीन वर्षों की कार्य निष्पादन रिपोर्ट के आधार पर निर्धारित बेंचमार्क के अनुसार वित्तीय उन्नयन का लाभ प्रदान किया जाता है।

क्रं.स.	नाम सर्व श्री / श्रीमती	पदनाम	अधीन / स्टेशन	ग्रेड पे / लेवल / वेतन	वित्तीय उन्नयन पर ग्रेड पे / लेवल	वित्तीय उन्नयन पर वेतन	टिप्पणी वित्तीय उन्नयन की पात्रता प्रथम / द्वितीय / तृतीय
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	राधाचरण शर्मा	मु.स्वा.निरी.	स्वा.केन्द्र उज्जैन	ग्रेड पे - 4800 (लेवल-08) वेतन रु.81200/- दि. 01.07.2018 वेतन रु.83600/- दि. 01.07.2019 वेतन रु.86100/- दि. 01.07.2020	ग्रेड पे - 5400 (लेवल-09)	वेतन रु. 85100/- दिनांक 01.09.2018 से वेतन रु. 87700 दिनांक 01.07.2019 वेतन रु. 90300 दिनांक 01.07.2020 अगली वेतन वृद्धि दिनांक 01.07.2021	तृतीय

उक्त वित्तीय उन्नयन भविष्य में रेलवे बोर्ड / प्रधान कार्यालय से प्राप्त होने वाले दिशा-निर्देशों के अधीन रहेगा। वित्तीय उन्नयन पर पदनाम में कोई परिवर्तन नहीं होगा एवं ना ही वर्गीकरण परिवर्तित होगा। वित्तीय उन्नयन कर्मचारी के व्यक्तिगत आधार पर है इससे वरीयता का कोई संबंध नहीं है एवं कनिष्ठ कर्मचारी का वेतन अधिक होने पर इस आधार पर वरिष्ठ कर्मचारी को स्टेपिंग अप की पात्रता नहीं होगी। तदनुसार सर्व संबंधितों को नोट कराया जाये एवं भुगतान /कटौती सुनिश्चित किया जाये। इस पर सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त है।

## प्रतिलिपि:-

वरिष्ठविप्रबं / मु.चि.अ./वरि.मं.चि.अ.(प्रशा / स्वा.),रतलाम,स्वास्थ्य केन्द्र उज्जैन  
मुकाअ - वेतन, लिपिक-सेपु, पास, आवास, वेवू, व्य.मिसल. मुकाअ.- मंडल चिकि. रतलाम।  
मंडल मंत्री - वेरेमसंघ / वेरेएयूनियन / एससी-एसटी एसो / ओबीसी एसो / रतलाम  
उक्त आदेश e-Samadhan एप पर उपलब्ध है।

(दीपक परमार)

मंडल कार्मिक अधिकारी  
कृते - मंडल रेल प्रबंधक (स्था.)रतलाम